[2018] 6 एस.सी.आर. 1036

गुरमीत पाल सिंह

बनाम

स्टेट ऑफ़ पंजाब और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4853/2018)

15 मई, 2018

[न्यायमूर्ति, जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति, संजय किशन कौल]

न्यायिक सेवा–पंजाब उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2007 –नियम 7 (3) (सी)– अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती के माध्यम से पंजाब उच्च सुपीरियर न्यायिक सेवा में चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया– अपीलार्थीगण–अभ्यायार्थी लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए– –लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर, वाइवा वॉस आयोजित किया गया था, जिसके बाद केवल लिखित परीक्षा की तुलना में संयुक्त अंकों में उम्मीदवारों की योग्यता की स्थिति में भिन्नता थी–जिसे अपीलार्थीगण द्वारा चुनौती दी गई थी–प्रतिपादित: जब कोई उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में उपस्थित होता है और बाद में सफल नहीं पाया जाता है, तो प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती है–अपीलार्थीगण को प्रासंगिक समय पर विज्ञापन को चुनौती नहीं देने के कारण, यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि चयन सूची के लिए कट ऑफ में अंक नहीं बनने के कारण, उन्हें किसी भी तरह से समायोजित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए– अपीलार्थीगण को कोई राहत नहीं दी गई–भारत का संविधान–अनुछेद 309

न्यायिक सेवा – पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा – चयन के लिए जारी विज्ञापन में पदों की संख्या में परिवर्तन की संभावना ने प्रदान की गयी है – विज्ञापन के पश्यात एक और सीट उपलब्ध हो गई – प्रभाव – प्रतिपादित: इससे बाद में रिक्त होने वाले पद का समावेश करने की अनिवार्यता नहीं है, और कि उच्च न्यायालय को आवश्यक रूप से भर्ती की जाने वाले व्यक्तियों की संख्या की विस्तार करने पर विचार की कोई अनिवार्यता नहीं है.

न्यायिक सेवा – पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा – चयन के लिए जारी विज्ञापन में सेना के लोगों के लिए दो सीटों को आरक्षित कर दिया – प्रतिपादित: इस तरह के आरक्षण का 1982 – धारा 3 को द्रष्टिगत रखते हुए कोई विधि की तरह बल नहीं था क्योंकि 1982 नियम जिसने पंजाब विधान सभा सचिवालय सेवा और पंजाब उच्च न्यायिक सेवा के संबंध में एक अपवाद बनाया था – पंजाब पूर्व सैनिक भर्ती नियम 1982 नियम 3,

न्यायिक सेवा–पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा–मौजूदा और संभावित रिक्तियों को भरना–आयोजित:इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा रिक्तियों और संभावित रिक्तियों को भरने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए–हालांकि, एक व्यापक प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि एक विज्ञापन केवल इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक रिक्ति जो मौजूद थी या जिस पर विचार किया गया

था, उसे ध्यान में नहीं रखा गया था–उच्च न्यायालय में पदोन्नति से उत्पन्न होने वाली बाद की रिक्ति को शायद ही विचार में माना जा सकता है और यह हमेशा खुला है किसी एक रिक्ति को न भरना।

आरक्षण–आरक्षित श्रेणी के सदस्यों का अनारक्षित श्रेणी में शामिल होने का अधिकार–आयोजितःआरक्षित श्रेणी से संबंधित सदस्य, जो अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में चुने जाते हैं, उन्हें सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में शामिल होने का अधिकार है और उन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित कोटे में शामिल नहीं किया जाना है।

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995– शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी के तहत उमीद्ववारो की अनुपलब्धता–भविष्य के लिए रिक्त स्थान को आगे बढाना –उपयुक्तता– प्रतिपादित: 1995 के अधिनियम के प्रावधान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को समायोजित करने के सामाजिक उद्देश्य की दिशा में हैं–भविष्य के लिए रिक्ति को आगे बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने प्रतिपादित किया:

अ: उच्च न्यायालय में सीधे अधिवक्ता भर्तियों की श्रेणी में से न्यायाधीश की पदोन्नति का प्रभावः

1.1 एक न्यायाधीश सबीना को 12–03–2008 पर पदोन्नत करना तथ्य की बात है। अपीलार्थीगण का निवेदन है कि विज्ञापन जारी होने के बाद सामान्य श्रेणी के लिए एक और सीट उपलब्ध हो गई और चूंकि पदों की संख्या परिवर्तन के अधीन थी, इसलिए यह रिक्ति सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए।यह विवाद में नहीं है कि विज्ञापन 02.02.2008 पर इस तरह की पदोन्नति से पहले जारी किया गया था और विज्ञापन में पदों की संख्या में बदलाव की संभावना का उल्लेख किया गया था। हालाँकि, यह किसी ऐसे पद को शामिल करने को अनिवार्य नहीं करेगा जो बाद में खाली हो गया था, और न ही उच्च न्यायालय पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का दायरा बढ़ाने के लिए कोई मजबूरी हो सकती है। वास्तव में, व्यक्तियों, जो विज्ञापन के बाद पात्र हो गए होंगे, उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता था, बाद में रिक्त पदों को पहले के विज्ञापन के खिलाफ शामिल किया जाना था। इस प्रकार, इस सीट की रिक्ति के आधार पर याचिका पूरी तरह से योग्यता से रहित है।

बी. विज्ञापन में गलत तरीके से पूर्व सैनिकों के लिए दो सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया हैः

1.2 विज्ञापन में पूर्व सैनिकों के लिए दो सीटों का प्रावधान किया गया था–एक सामान्य श्रेणी में और एक पिछरे वर्ग की श्रेणी में। हालाँकि, पंजाब विधान सभा सचिवालय सेवा और पंजाब उच्च न्यायिक सेवा के संबंध में एक अपवाद बनाने वाले पंजाब पूर्व सैनिकों की भर्ती नियम, 1982 के नियम 3 को देखते हुए इस तरह के आरक्षण का कोई कानूनी बल नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी के लिए भर्ती की प्रक्रिया को परित्याग कर दिया। इसने शुरुआत में इसका समाधान किया था कि पूर्व सैनिकों (सामान्य) के लिए विज्ञापित रिक्ति भी सामान्य श्रेणी में जाएगी, लेकिन अंततः ऐसा नहीं किया गया। हालाँकि, उक्त सीट फास्ट ट्रैक अदालत से न्यायाधीशों के समावेश के लिए उपलब्ध कराई गई थी।

सी. फास्ट ट्रैक न्यायालयों से दो न्यायाधीशों की भर्ती:

1.3 फास्ट ट्रैक अदालत में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति दो रिक्तियों के विरुद्ध की गई, अर्थात, एक पूर्व सैनिक (सामान्य) श्रेणी का और दूसरा जो न्यायमूर्ति सबीना के अधीनस्थ न्यायपालिका से उच्च न्यायालय में पदोन्नति पर हुआ था। इस तरह के चयन से पहले न्यायाधीशों के समावेशन के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक चयन समिति थी। फास्ट ट्रैक अदालत से न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए एक पूरी तरह से अलग प्रक्रिया का पालन किया गया था। हालाँकि, विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या विज्ञापन में रिक्तियों में से एक, जो उत्पन्न हुई थी, का उपयोग इन फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के समावेशन के लिए किया जाना चाहिए था, जिसने बदले में, सबसे वरिष्ठ, अपीलार्थी को प्रभावित किया। एक तरह से, अपीलार्थी ने एससी श्रेणी के एक अधिक मेधावी उम्मीदवार के योग्य पाए जाने के दोनों परिणामों को पूरा किया, जिसके कारण वह एक स्थान नीचे चला गया। लेकिन, यह एक अच्छी तरह से स्थापित विधिक स्थिति है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित सदस्य, जो खुली प्रतियोगिता में चुने जाते हैं, उन्हें योग्यता के आधार पर सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में शामिल होने का अधिकार है और अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित कोटे में शामिल नहीं किया जाना है।

1.4 जहां तक पूर्व सैनिकों के लिए गलत आरक्षण के कारण उपलब्ध कराए गए सीट के खिलाफ समायोजन का सवाल है, यह तथ्य कि उक्त अपीलार्थी ने 08.04.2011,02.01.2012 और 29.04.2013 पर आयोजित लगातार तीन परीक्षाओं में भाग लेने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रारंभिक भर्ती को एक दशक बीत चुका है और हालांकि अपीलार्थीगण को न्यायिक देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन समय को पीछे रखना वास्तव में संभव नहीं है। इस प्रकार, भर्ती प्रक्रिया के इस पहलू से हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है।

डी. विकलांग उम्मीदवार की अनुपलब्धता:

1.5 विज्ञापन के शब्दों को ध्यान में रखते हुए एक अंतर्निहित अधिकार पर आधारित याचिका जिसमें विकलांग व्यक्ति के लिए सीट है जब कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, आंतरिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को समायोजित करने के सामाजिक उद्देश्य की दिशा में हैं।भविष्य के लिए रिक्तियों को आगे बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है।

ई. बड़ी भर्ती संभव थी क्योंकि संवर्ग की संख्या अधिक थी:

1.6 निर्विवाद तथ्य यह है कि विज्ञापन 107 कैडर संख्या के आधार पर जारी किया गया था। विचाराधीन श्रेणी में सत्ताईस (27) पद उत्पन्न होंगे और छह (6) पहले से ही भरे हुए थे, इस प्रकार, एकवीस (21) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन को किसी भी अपीलार्थीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। जब कोई उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में उपस्थित होता है और बाद में सफल नहीं पाया जाता है तो प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, निस्संदेह अपीलार्थीगण ने प्रासंगिक समय पर विज्ञापन को चुनौती नहीं दी है, उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि चयन सूची के लिए कट ऑफ में अंक नहीं बनने के कारण, उन्हें किसी भी तरह समायोजित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में

पदों की विद्यमानता का अभिवचन इस दिशा में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा रिक्तियों और संभावित रिक्तियों को भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह एक व्यापक प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि विज्ञापन केवल इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक रिक्ति जो मौजूद थी या जिस पर विचार किया गया था, उसे ध्यान में नहीं रखा गया था। पदोन्नति से उत्पन्न होने वाली बाद की रिक्ति को शायद ही विचार में माना जा सकता है। केवल इसलिए कि किसी उम्मीदवार के नाम को चयन योग्यता सूची में जगह मिलती है, नियुक्ति का एक अक्षम्य अधिकार भी नहीं दिया जाता है और एक रिक्ति को नहीं भरना हमेशा खुला रहता है। अपीलार्थीगण द्वारा न्यायिक विभाग, पंजाब के अधिकारियों की श्रेणीकरण और वितरण सूची को आधार बनाकर दे गयी 111 की संवर्ग संख्या 31.01.2010 तक संशोधित उपलब्ध है, जो विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया के बाद की थी। इस प्रकार, अपीलार्थीगण को इस आधार पर भी कोई राहत नहीं मिल सकती है। अपीलार्थीगण को कोई राहत नहीं दी जाती है।

बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य। (2002) 5 एससीसी 1:[2002] 3 एससीआर 810; समता आंदोलन समिति बनाम भारत संघ(2014) 14 एस. सी. सी. 745: [2013] 11 एससीआर 1124; अशोक कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य। (2017) 4 एससीसी 357: [2016] 8 एससीआर 815; चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला (2002) 6 एससीसी 127:[2002] 3 एससीआर 948; मलिक मजहर सुल्तान और अन्र बनाम यू. पी. लोक सेवा आयोग और अन्य (2008) 17 एससीसी 703; कुलविंदर पाल सिंह और अन्र बनामपंजाब राज्य और अन्य (2016) 6 एससीसी 532:[2016] 4 एससीआर 439–पर निर्भर था।

न्याय दृष्टान्त संदर्भ

[2002] 3 एस. सी. आर. 810 पैरा 9 पर निर्भर था

[2013] 11 एस. सी. आर. 1124 पैरा 12 पर निर्भर था

[2016] 8 एस. सी. आर. 815 पैरा 16 पर निर्भर था

[2002] 3 एस. सी. आर. 948 पैरा 16 पर निर्भर था

(2008) 17 एस. सी. सी. 703 पैरा 16 पर निर्भर था

[2016] 4 एस. सी. आर. 439 पैरा 17 ए पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: सिविल अपील संख्या 4853 / 2018

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की दिनांक 19.08.2013 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न सिविल रिट याचिका No.1999/ 2009

साथ

सी. ए. संख्या 4856, 4857, 4858, 4854 और 4855 / 2018

सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता, गोपाल शंकरनारायण, रोहित शर्मा, अंशुल चौधरी, आदिल बोपार, सुश्री साक्षी, संदीप दास, सुश्री सुरभी शर्मा, परमानंद गौर, बलबीर सिंह गुप्ता, श्रीमती कंचन कौर ढोडी, सुश्री उपासना नाथ, अनीस अहमद खान, रोहित शर्मा, अंशुल चौधरी, गौरवजीत नरवन, यश पाल ढींगरा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी।

निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री वृति गुजराल, पुनीत वार्ष्णेय, अशोक माथुर, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुभाशीष भौमिक, गगन गुप्ता, सौरभ गुप्ता, साजिथ पी., करण दीवान, सुश्री अदिति गुप्ता, प्रत्यर्थीगणओं के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे.

1.शक्तियों के प्रयोग में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त, पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 (जिसे इसके बाद 'उक्त नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) को पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए 31.08.2007 पर अधिसूचित किया गया था।उक्त नियमों के नियम 7 के अनुसार नियुक्ति की विधि पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्यों के बीच से थी, साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं के बीच से सीधी नियुक्ति थी।नियम 7 के उप–नियम (3) के उप–खंड (सी) में पश्चात् की सीधी नियुक्ति के बारे में बताया गया था, जिसके लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित थे।विचाराधीन अपीलें पहली बार में इन नियमों के तहत सीधी भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित हैं, जो 02.02.2008 पर जारी विज्ञापन के अनुसरण में की जाती हैं।

2. उपरोक्त विज्ञापन के संदर्भ में, 21 उम्मीदवारों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सामान्य श्रेणी से दस (10), अनुसूचित जाति ('अनुसूचित जाति') श्रेणी से छह (6), पिछड़े वर्ग श्रेणी से दो (2), पूर्व सैनिक (सामान्य) श्रेणी से एक (1), बी. सी. श्रेणी से एक (1)। उक्त नियमों के नियम 7 (3) (सी) के तहत (पूर्व–सैनिक) श्रेणी और (1) लोकोमोटर या ऑर्थोपेडिक डिसएबिलिटी की शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से।यह ध्यान दिया जा सकता है कि विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 'पदों की संख्या परिवर्तन के अधीन होगी।'शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी के विज्ञापन के लिए नोट 4 में यह भी कहा गया है कि "यदि कोई भी उम्मीदवार इस श्रेणी के तहत उपयुक्त या चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं पाया जाता है, तो पद को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा।"

3. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण सभी उम्मीदवार हैं, जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि परिणाम की घोषणा से पहले किसी ने भी विज्ञापन पर आक्षेप नहीं

किया था। लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर, वाइवा–वॉयस आयोजित किया गया था और केवल लिखित परीक्षा की तुलना में संयुक्त अंकों में उम्मीदवारों की योग्यता स्थिति में भिन्नता थी। सभी अपीलार्थीगण सामान्य श्रेणी के हैं और उनकी योग्यता की स्थिति उन दस (10) उम्मीदवारों से परे थी जिनकी भर्ती विज्ञापन के तहत परिकल्पित की गई थी।यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से एक ने आरक्षण के लाभ के बिना योग्यता पर विचार करने के लिए अंक प्राप्त किए और परिणामस्वरूप दस (10) पदों के खिलाफ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में से नौ (9) की भर्ती की गई।

4. अपीलार्थीगण की ओर से दायर याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए पांच घटनाक्रमों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।पहला था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सबीना की पदोन्नति, और इस प्रकार, अपीलार्थीगण का निवेदन है कि विज्ञापन जारी होने के बाद सामान्य श्रेणी के लिए एक और सीट उपलब्ध हो गई और चूंकि पदों की संख्या परिवर्तन के अधीन थी, इसलिए यह रिक्ति सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा, विज्ञापन में एक दोष के कारण उत्पन्न हो रहा है क्योंकि पूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण की परिकल्पना नहीं की गई थी, क्योंकि पंजाब पूर्व सैनिकों की भर्ती नियम, 1982 के नियम 3 जिसे इसके बाद 'पूर्व सैनिक नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने इन नियमों को पंजाब विधानसभा सचिवालय सेवा और पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा पर लागू होने से छूट दी थी।उच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य का संज्ञान लिया और इस प्रकार, आरक्षण, कानून के अनुसार नहीं होने के कारण, 25.07.2008 पर आयोजित न्यायाधीशों की बैठक में उचित रूप से हल किया गया।बैठक में कहा गया कि रिक्ति, जिसे पूर्व–सैनिक ए के रूप में विज्ञापित किया गया था(सामान्य) भी सामान्य श्रेणी में जानी चाहिए।इस प्रकार, अपीलार्थीगण के अनुसार दूसरी सीट सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध हो गई। तीसरा फास्ट ट्रैक अदालतों के दो पीठासीन अधिकारियों का समावेशन है, जिनके खिलाफ उक्त नियमों के नियम 7 (2) के तहत कथित रूप से सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां हैं, भले ही वर्तमान भर्ती प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 7 (3) के तहत थी।चौथा, शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी में कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, लेकिन विज्ञापन के नोट 4 के अनुसार इसे सामान्य श्रेणी में ले जाने के बजाय, रिक्ति को आगे बढ़ाया गया।अंत में, विज्ञापन 107 पदों की कुल संवर्ग संख्या के आधार पर जारी किया गया था, जबकि वास्तव में विज्ञापन की तारीख पर कुल संवर्ग संख्या 111 थी, यानी चार और पद थे, जिन्हें भरा जा सकता था और सामान्य श्रेणी को दो और सीटें मिल सकती थीं और दो और उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में शामिल किया जा सकता था।

5. हालाँकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर करके अपीलार्थीगण का प्रयास सफल नहीं हुआ और दिनांक 1 के सामान्य निर्णय के संदर्भ में सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।वर्ष 2008 में भर्ती प्रक्रिया के बाद से पिछले दशक के दौरान, विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिवक्ताओं की इसी तरह की भर्ती पांच बार की गई थी।इस न्यायालय के समक्ष तीन उम्मीदवारों ने अलग–अलग परीक्षाओं में अपने अवसर लिए।इनके विवरण का खुलासा प्रत्यर्थी No.2 उच्च न्यायालय की ओर से दायर अतिरिक्त हलफनामे के अनुलग्न ए के अनुसार किया गया है, जिसे यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

Sr. No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Notification dated 2.2.2008	Rank as per Merit List	Notification dated 21.10.2009	Notification dated 8.4.2011	Notification dated 2.1.2012	Notification dated 29.4.2013	Notification dated 23.3.2015
1.	Gurmeet Pal Singh	Santokh Singh	Appeared in the Exam	11	-	Appeared in the Exam	Appeared in the Exam	Appeared in the Exam	-
2.	Kadambini	Mukand Lal Arora	Appeared in the Exam	13	-	Appeared in the Exam	Appeared in the Exam	Appeared in the Exam	Appeared in the Exam
3.	Anuradha	Bhavnesh Shukla	Appeared in the Exam	12	-	-	-	-	-
4.	Preeti Bhargav	Narinder Bharbav	Appeared in the Exam	15	-	-	-	-	-
5.	Parmod Kumar	Satyapal Sharma	Appeared in the Exam	16	-	Appeared in the Exam	-	Appeared in the Exam	-

6. हालाँकि, अपीलार्थीगण का तर्क है कि यदि उन्हें गलत तरीके से बाहर रखा गया है, तो वे बाद की परीक्षा में उपस्थित हुए या नहीं, या वे बाद की परीक्षा में सफल हुए या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं होगा।अपीलार्थीगण का यह भी मामला है कि यद्यपि परीक्षा आयोजित किए हुए एक दशक बीत चुका है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में देरी से उन्हें नियुक्त होने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही बाद में भर्तियां हुई हों, और यदि वह पहलू न्यायालय पर भारी पड़ता है, तो वरिष्ठता के मुद्दे पर राहत को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।

अ: उच्च न्यायालय में सीधे अधिवक्ता भर्तियों की श्रेणी में से न्यायाधीश की पदोन्नति का प्रभावः

7. जस्टिस सबीना को 12.03.2008 पर पदोन्नत करना तथ्य की बात है।यह भी विवाद में नहीं है कि विज्ञापन 02.02.2008 पर इस तरह की पदोन्नति से पहले जारी किया गया था और विज्ञापन में पदों की संख्या में बदलाव की संभावना का उल्लेख किया गया था।हालाँकि, हमारे विचार में, यह उस पद को शामिल करने को अनिवार्य नहीं करेगा जो बाद में खाली हो गया था, और न ही उच्च न्यायालय पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का दायरा आवश्यक रूप से बढ़ाने की बाध्यता हो सकती है।वास्तव में, वे व्यक्ति, जो विज्ञापन के बाद पात्र हो गए होंगे, उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता था, बाद में रिक्त पदों को पहले के विज्ञापन के खिलाफ शामिल किया जाना था।इस प्रकार, इस सीट की रिक्ति के आधार पर याचिका पूरी तरह से योग्यता से रहित है।

बी. विज्ञापन में गलत तरीके से पूर्व सैनिकों के लिए दो सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया हैः

8. विज्ञापन में पूर्व सैनिकों के लिए दो सीटों का प्रावधान किया गया था–एक सामान्य श्रेणी में और एक पिछड़ा वर्ग श्रेणी में।हालाँकि, पंजाब विधानसभा सचिवालय सेवा और पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा के संबंध में एक अपवाद बनाते हुए, पूर्व सैनिक नियमों के नियम 3 को देखते हुए इस तरह के आरक्षण का कोई कानूनी बल नहीं था।उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दिनांकित

25.07.2008 बैठक के कार्यवृत्त के संदर्भ में इस श्रेणी के लिए भर्ती की प्रक्रिया को छोड़ दिया। इसने शुरू में यह संकल्प लिया था कि पूर्व सैनिकों (सामान्य) के लिए विज्ञापित रिक्ति भी सामान्य श्रेणी में जाएगी, लेकिन अंततः ऐसा नहीं किया गया।हालाँकि, उक्त सीट फास्ट ट्रैक अदालत से न्यायाधीशों के समावेशन के लिए उपलब्ध कराई गई थी।वास्तव में, फास्ट ट्रैक अदालत से दो न्यायाधीशों की भर्ती की गई थी–एक इस पद के खिलाफ और दूसरा रिक्ति के खिलाफ, जो एक अलग अभ्यास के माध्यम से न्यायमूर्ति सबीना की पदोन्नति के कारण उत्पन्न हुआ, जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी।

ग. फास्ट ट्रैक न्यायालयों से दो न्यायाधीशों की भर्तीः

9. फास्ट ट्रैक अदालतों का मूल 11 वें वित्त आयोग के तहत लंबे समय से लंबित मामलों, विशेष रूप से सत्र मामलों से निपटने के लिए धन के आवंटन के लिए है।पाँच साल की अवधि के भीतर एक समयबद्ध उपयोग की परिकल्पना की गई थी और इस प्रकार, विभिन्न राज्य सरकारों को ऐसे न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी।हम यहाँ देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों की नियमित संवर्ग संख्या लंबित मामलों और मामलों के प्रवाह को पूरा करने के लिए बहुत अपर्याप्त रही है, एक कार्यप्रणाली संवर्ग की संख्या को बढ़ाना भी हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में इस उद्देश्य के लिए समय–समय पर समीक्षा की गई है।हालांकि, प्रासंगिक स्तर पर ऐसा नहीं करने के बाद, कम से कम, कुछ श्रेणी के मामलों के लिए अस्थायी रूप से फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के लिए एक शॉर्ट कट विधि की परिकल्पना की गई थी।हालाँकि, चूंकि केंद्र सरकार से निधि पाँच वर्षों के बाद बंद हो गई थी, इसलिए सवाल उठा कि इन फास्ट ट्रैक अदालतों का क्या होगा, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई पीठासीन अधिकारियों को सीधे बार से नियुक्त किया गया था। फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए इस योजना की संवैधानिकता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया गया था । **बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य, निर्णय के पैरा 10 में,** योजना की प्रारंभिक समस्याओं से निपटने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।निर्देश संख्या 4, पहले के निर्देशों के बाद दर्ज किया गया कि तदर्थ पदोन्नति पर नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः

"4. इन न्यायालयों में सीधी नियुक्ति के लिए बार के सदस्यों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें अधिमानतः 35–45 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए, ताकि वे नियमित पदों पर बने रहने की आकांक्षा कर सकें यदि फास्ट ट्रैक अदालतें काम करना बंद कर देती हैं।सेवा में उनके बने रहने के प्रश्न की उच्च न्यायालय द्वारा उनके प्रदर्शन के आधार पर समय–समय पर समीक्षा की जाएगी।यदि बाद में भर्ती होती है और फास्ट ट्रैक अदालतों में उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो उन्हें नियमित रिक्तियों में शामिल किया जा सकता है।प्रारंभिक चयन के लिए, उच्च न्यायालय चयन के ऐसे तरीकों को अपनाएगा जो आमतौर पर उच्च/उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी भर्ती के रूप में बार के सदस्यों के चयन के लिए अपनाए जाते हैं।"

10. उच्च न्यायालय का रुख यह है कि उपरोक्त निर्णय को आगे बढ़ाते हुए फास्ट ट्रैक न्यायालय में स्थायी आधार पर नियुक्त न्यायाधीशों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था।

11. यह नियुक्ति फास्ट ट्रैक अदालत में दिनांक 20.06.2018 और ऐसे दो न्यायाधीशों के आदेश के माध्यम से दो रिक्तियों के खिलाफ की गई थी, यानी एक पूर्व सैनिक (सामान्य) श्रेणी की और दूसरी जो न्यायमूर्ति सबीना की अधीनस्थ न्यायपालिका से उच्च न्यायालय में पदोन्नति पर हुई थी।

इस तरह के चयन से पहले न्यायाधीशों के समावेशन के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक चयन समिति थी।न्यायाधीशों को 100 अंकों के बेंचमार्क पर चिह्नित किया गया था, जिसमें से 50 अंक लिखित परीक्षा से, 25 अंक वाइवा–वॉस के लिए और 25 अंक फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रदर्शन के लिए थे।इन दोनों ने पंजाब के लिए रिक्तियों के लिए उच्चतम अंक प्राप्त किए, जैसा कि दिनांक 18.03.2008 की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया था।

12. उपरोक्त से पता चलता है कि फास्ट ट्रैक अदालत से न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए एक पूरी तरह से अलग प्रक्रिया का पालन किया गया था।हालाँकि, विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या विज्ञापन में रिक्तियों में से एक, जो उत्पन्न हुई थी, का उपयोग इन फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के समावेशन के लिए किया जाना चाहिए था, जिसने बदले में सबसे वरिष्ठ, यानी गुरमीत पाल सिंह को प्रभावित किया।एक तरह से गुरमीत पाल सिंह को एससी श्रेणी के एक अधिक मेधावी उम्मीदवार के योग्य पाए जाने के परिणामस्वरूप वह एक स्थान नीचे चले गए।लेकिन फिर यह एक अच्छी तरह से स्थापित विधिक स्थिति है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित सदस्य, जो अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में चुने जाते हैं, उन्हें सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में शामिल होने का अधिकार है और उन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित कोटे में शामिल नहीं किया जाना है

(समता आंदोलन समिति बनाम भारत संघ)

13. जहां तक पूर्व सैनिकों के लिए गलत आरक्षण के कारण उपलब्ध कराई गई सीट के खिलाफ समायोजन का सवाल है, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उक्त श्री गुरमीत पाल सिंह ने 08.04.2011, 02.01.2012 और 29.04.2013 पर आयोजित लगातार तीन परीक्षाओं में भाग लेने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे (चार्ट ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया)।इतना ही नहीं, प्रारंभिक भर्ती को एक दशक बीत चुका है और हालांकि अपीलार्थीगण को न्यायिक देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन उपरोक्त सभी कारणों से समय मे पीछे जाना संभव नहीं है।

14. इस प्रकार हम इस पहलू पर भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए प्रवृत्त नहीं हैं।

डी. विकलांग उम्मीदवार की अनुपलब्धताः

15. विज्ञापन के शब्दों को ध्यान में रखते हुए एक अंतर्निहित अधिकार पर आधारित याचिका, जो विकलांग व्यक्ति के लिए सीट है, जब कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, आंतरिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को समायोजित करने के सामाजिक उद्देश्य की दिशा में हैं। हम भविष्य के लिए रिक्तियों को आगे बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं पाते हैं।

ई. बड़ी भर्ती संभव थी क्योंकि संवर्ग की संख्या अधिक थीः

16. निर्विवाद तथ्य यह है कि विज्ञापन 107 कैडर संख्या के आधार पर जारी किया गया था। विचाराधीन श्रेणी में सत्ताईस (27) पद उत्पन्न होंगे और छह (6) पहले से ही भरे हुए थे और इस प्रकार, एकवीस (21) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।विज्ञापन को किसी भी अपीलार्थीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि

जब कोई उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में उपस्थित होता है और बाद में सफल नहीं पाया जाता है तो प्रक्रिया के लिए एक चुनौती को रोक दिया जाता है। अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में **इस सिद्धांत को फिर से प्रतिपादित किया गया है जो की चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला से शुरू हुआ था। इस प्रकार,** निस्संदेह अपीलार्थीगण ने प्रासंगिक समय पर विज्ञापन को चुनौती नहीं दी है, उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि चयन सूची के लिए कट ऑफ में जगह नहीं बनाने के कारण, उन्हें किसी भी तरह समायोजित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए।बड़ी संख्या में पदों के अस्तित्व की दलील इस दिशा में है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा रिक्तियों और संभावित रिक्तियों को भरने के लिए **मलिक मजहर सुल्तान और अन्य बनाम यू. पी. लोक सेवा आयोग और अन्य** के फैसले को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह एक व्यापक प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि विज्ञापन केवल इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक रिक्ति जो मौजूद है या जिस पर विचार किया गया है, उसे ध्यान में नहीं रखा जाता है।निश्चित रूप से, पदोन्नति से उत्पन्न होने वाली बाद की रिक्ति को शायद ही विचार में माना जा सकता है।

17. हम उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हैं, विशेष रूप से तब जब केवल इसलिए कि किसी उम्मीदवार के नाम को चयनित योग्यता सूची में जगह मिलती है, उसे नियुक्ति का अक्षम्य अधिकार अर्जित नहीं होता है और वह हमेशा रिक्ति न भरने के लिए भी विकल्पित रहता है। (कुलविंदर पाल सिंह और अन्य बनाम.पंजाब राज्य और अन्य)।

18. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता का यह भी अनुरोध है कि संवर्ग में केवल 107 पद शामिल थे।यह न्यायिक विभाग, पंजाब के अधिकारियों की श्रेणीकरण और वितरण सूची से काफी स्पष्ट बताया गया है जिसे 01.01.2008 तक संशोधित किया गया है।स्थायी और अस्थायी सहित संख्या 109 बताई गई है।हालांकि, क्रम संख्या 6 में, अस्थायी पद के तहत पटियाला और जालंधर में विशेष अदालतों की स्थापना के लिए पंजाब सरकार के पत्र दिनांक 27.01.2004 द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के दो अस्थायी पद हैं।ये अदालतें वास्तव में बहुत बाद तक स्थापित नहीं की गई थीं।यह भी तर्क दिया गया कि भले ही कैडर की संख्या 109 हो, फिर भी विशेष श्रेणी 27.25 (109 का 25 प्रतिशत = 27.25) पदों की हकदार होगी, जिसमें ये छह (6) पद भरे जाएंगे।इसलिए, एक बार फिर, वह 21 पदों पर आएगा। अपीलार्थीगण द्वारा भरोसा की गई 111 की संवर्ग संख्या न्यायिक विभाग, पंजाब के अधिकारियों की श्रेणीकरण और वितरण सूची से 31.01.2010 तक उपलब्ध है, जो विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया के बाद की थी।अतः अपीलार्थीगण को इस आधार पर भी कोई राहत नहीं मिल सकती है।

निष्कर्षः

19. हमने अपीलार्थीगण की ओर से हमारे समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं पर विचार किया है।बेशक, हमने विवादित आदेश का अध्ययन किया है।हम ध्यान दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेप का आधार मुख्य रूप से अलग–अलग याचिकाओं पर प्रतीत होती है, हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे सामने उठाए गए मुद्दे पहली बार उठाए गए हैं। इस प्रकार, हमने उन याचिकाओं पर विचार किया है, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

20. इस प्रकार हम वर्तमान मामले में अपीलार्थीगण को कोई राहत देने में असमर्थ हैं।

21. हालाँकि, हम अंत में ध्यान दे सकते हैं कि अपीलार्थीगण में से एक, सुश्री कदम्बिनी, अधिवक्ता ने व्यक्तिगत रूप से अपील का तर्क दिया और दूसरे विद्वान वरिष्ठ के प्रयास से कुछ भी लिए बिना अधिवक्ता ने सराहनीय काम किया। हालाँकि, यह उक्त अपीलार्थी को समायोजित करने का आधार नहीं हो सकता है।

22. तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।